(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

.... जगदीश .... **बनाम** ...... सरकार, नगर विकास न्यास, कोटा ....

किस्म मुकदमा : **88, 89, 91, 188 आर.टी.ए.** प्रकरण संख्या ..... 13A/16........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमाक जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये हो।
22-06-2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 'न्याय आपके द्वार, 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय बोराबास, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। हमने पत्रावली के निस्तारण के उद्देश्य से पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिसके अनुसार वादी द्वारा अपना वाद पेश कर निवेदन किया गया है कि ग्राम रथकांकरा, पटवार हल्का बोराबास, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 232 रकबा 0.83 हैक्टर आराजी दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी के नक्शे के अनुसार आराजी का क्षैत्रफल 0.61 हैक्टर ही आ रहा है। अतः राजस्व अभिलेख में दर्ज क्षैत्रफल के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 232 रकबा 0.83 हैक्टर की पूर्ति कराई जावे। वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार उक्त आराजी नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज होने के कारण इन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि राजस्व अभिलेख के अनुसार वर्तमान में विवादित आराजी नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज रेकार्ड है। राजस्व लोक अदालत में पेश पत्रावली में उक्त प्रकरण राजस्व नक्शें में त्रुटि से सम्बन्धित होने के कारण सम्बन्धित हल्का पटवारी से राजस्व अभिलेख तथा वर्तमान नक्शें की तुलनात्मक रिपोर्ट चाही गई। इसके क्रम में पटवारी हल्का द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम रथकांकरा के खसरा नम्बर 232 रकबा 0.83 हैक्टर की नक्शे में बरारी करने पर खसरा नम्बर 232 का रकबा 0.61 हैक्टर ही आता है जो 0.83 हैक्टर के मुकाबले 0.22 हैक्टर कम है। ग्राम रथकांकरा के खसरा नम्बर 232 रकबा 0.83 हैक्टर भूमि नगर विकास न्यास, कोटा के खाते 90-बी से दर्ज रेकार्ड है। 90-बी की काग्रवाही किये जाने से पूर्व भूमि जगदीश आत्मज श्योदास, जाति भील, निवासी रथकांकरा के खाते दर्ज रेकार्ड थी। नक्शे के अनुसार रकबा बरारी करने एवं लम्बाई चौडाई से क्षैत्रफल निकालने पर नक्शे में 0.61 हैक्टर भूमि ही आती है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्तमान नक्शे में 0.61 हैक्टर भूमि का ही नक्शा बनाया गया है। ग्राम रथकांकरा के पूर्व में खसरा नम्बर 232/271 सिवायचक भूमि है, जिसमें से 0.22 हैक्टर भूमि नक्शे में तरमीम की जाकर दुरूस्त की जा सकती है। पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट तथा दस्तावेजात के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि ग्राम रथकांकरा के विवादित खसरा नम्बर 232 का नक्शे में रकबा 0.61 हैक्टर ही है तथा सिवायचक खसरा नम्बर 232/271 के 0.22 हैक्टर से नक्शे की पूर्ति कर नक्शे का रकबा खसरा नम्बर 232 रकबा 0.83 के अनुरूप दर्ज किया जा सकता है। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रथकांकरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के नक्शे में खसरा नम्बर 232 रकबा 0.61 हैक्टर के पूर्व में स्थित सिवायचक खसरा नम्बर 232/271 की 0.22 हैक्टर सम्मिलित करते हुये अर्थात नक्शे में खसरा नम्बर 232 का रकबा 0.83 हैक्टर अनुसार तरमीम की जावे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 22/6/18 **सहायक कलक्टर एवं** **कार्यपालक मजिस्ट्रेट**	

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत

न्याय आपके द्वार अभियान – 2018 : अटल सेवा केन्द्र, बोराबास, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री दुर्गाशंकर मीना, R.A.S.

बउनवान :–

1 जगदीश आत्मज श्री श्योदास, जाति भील, निवासी रथकांकरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

2 श्रीमान सचिव महोदय, नगर विकास न्यास, कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 91, 188 RTA

मुकदमा नम्बर : 13A / 16

निर्णय दिनांक : 22-06-2018

न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के अन्तर्गत अटल सेवा केन्द्र, बोराबास, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में आज तारीख 22–06–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाशंकर मीना (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), एवं अध्यक्ष, राजस्व लोक अदालत, कोटा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन तथा शिविर में प्रकरण के तथ्यों की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रथकांकरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के नक्शे में खसरा नम्बर 232 रकबा 0.61 हैक्टर के पूर्व में स्थित सिवायचक खसरा नम्बर 232/271 की 0.22 हैक्टर सम्मिलित करते हुये अर्थात नक्शे में खसरा नम्बर 232 का रकबा 0.83 हैक्टर अनुसार तरमीम की जावे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 22 जून, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

22/6/18

(दुर्गाशंकर मीना) आर.ए.एस

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,

कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	